2025:CGHC:56567

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 60/2007

वह तिथि जब निर्णय सुरक्षित रखा गया	वह तिथि जब निर्णय उद्घोषित किया गया	वह तिथि जब निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया गया	
		प्रवर्तनीय	पूर्ण
19.08.2025	20.11.2025	--	20.11.2025

तीरथ सूर्यवंशी, पिता फगुवाराम सूर्यवंशी, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी रायपुरा, थाना डौंडीलोहारा, वर्तमान निवासी कुसुमकासा, थाना राजहरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

---अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना राजहरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

--- प्रत्यर्थी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री अरविंद कुमार दुबे, अधिवक्ता की ओर से श्री बेनून, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अफरोज खान, पैनल अधिवक्ता।

दाण्डिक अपील क्रमांक 1088/2007

सती बाई बोरकर, पति मनमोहन बोरकर, उम्र लगभग 32 वर्ष, साकिन-डौंडी, ग्राम-पथराटोला, थाना राजहरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

---अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना राजहरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

--- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री पूर्णिमा सिंह, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अफरोज खान, पैनल अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

सी ए वी निर्णय

1. चूँकि ये दोनों अपीलें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला– दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 105/2006 में दिनांक 05.01.2007 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय से प्रोद्भूत है, इसलिए इन्हें एक साथ सुना जा रहा है और इस एक ही निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, प्रत्येक अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध और दंडित किया गया है:–

दाण्डिक अपील क्रमांक 60/2007 में

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भारतीय दंड संहिता की धारा 314 सहपठित धारा 109 के अधीन	05 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

दाण्डिक अपील क्रमांक 1088/2007 में

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भारतीय दंड संहिता की धारा 314 अधीन	05 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. आक्षेपित निर्णय से प्रकट होने वाले प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मृतका जानकी बाई राजहरा में रहती थी, उसका अभियुक्त/ अपीलार्थी तीरथ सूर्यवंशी के साथ प्रेम प्रसंग था और उन दोनों के मध्य शारीरिक संबंध बन गए थे। चूँकि मृतका गर्भवती हो गई थी और उसके गर्भ में 2–3 माह का शिशु था, इसलिए सामाजिक बदनामी से बचने के लिए, अभियुक्त/ अपीलार्थी तीरथ सूर्यवंशी गर्भपात कराने के लिए सती बोरकर नामक एक नर्स के पास गया। दिनाँक 19.01.2006 को, दूसरी अभियुक्त/ अपीलार्थी नर्स सती बोरकर ने मृतका को कुछ दवाएँ दीं और आश्वासन दिया कि एक दिन के भीतर उसका गर्भपात हो जाएगा। दिनाँक 20.01.2005 को मृतका जानकी बाई ने तीरथ सूर्यवंशी को बताया कि जो दवाएँ उसने उसे दी थीं, उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन, दवा ने काम नहीं किया, तो अभियुक्त/ अपीलार्थी तीरथ सूर्यवंशी मृतका जानकी बाई के साथ दूसरी अभियुक्त/ अपीलार्थी नर्स सती बोरकर के घर गया, जहाँ जानकी बाई को कमरे के अंदर ले जाया गया और कुछ समय बाद मरीज जानकी बाई चिल्लाने और रोने लगी, जिस पर अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण ने मरीज को मुस्कान क्लिनिक बालोद पहुँचाया, जहाँ चिकित्सक ने उन्हें सूचित किया कि मरीज की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद, अभियुक्त/ अपीलार्थी शव को वापस ग्राम पथराटोला स्थित नर्स सती बोरकर के घर ले आए। अपीलार्थी तीरथ ने दिनाँक 21.01.2006 को लगभग 19:05 बजे पुलिस को प्रकरण की सूचना दी और पुलिस ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया तथा विवेचना एजेंसी ने प्रकरण की विवेचना की।

3. विवेचना के दौरान, अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किए गए और मृत शरीर को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया। घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया और कई वस्तुएं जब्त की गईं। इसके पश्चात अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 25/2006 दर्ज किया गया।

4. अभियोजन ने उचित और आवश्यक विवेचना पूर्ण करने के उपरांत, संबंधित अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया, जिन्होंने बदले में प्रकरण को विचारण हेतु उपार्पित किया। अभियोग–पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 314 सहपठित धारा 109 और धारा 314 के अधीन कथित अपराध के लिए आरोप विरचित किए। अभियुक्तों द्वारा दोष अस्वीकार किए जाने के कारण उनपर विचारण चलाया गया।

5. दोष को साबित करने के लिए, अभियोजन ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपना प्रकरण साबित करने हेतु कुल 18 साक्षियों का परीक्षण किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के कथन भी अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के प्रकरण में उनके विरुद्ध प्रतीत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। हालाँकि, उनकी ओर से बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीओं को दोषसिद्ध किया और उन्हें इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दंडित किया। अत: यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. दाण्डिक अपील क्रमांक 60/2007 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित निर्णय अवैध, विकृत और विधि विरुद्ध है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी मृतका जानकी बाई को गर्भपात कराने के उद्देश्य से नर्स सती बाई बोरकर के पास ले गया था। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह मृतका को चिकित्सीय उपचार या औपचारिक उपचार के लिए नर्स के पास ले गया होगा। नर्स द्वारा मृतका को दी गई दवा, विशेष रूप से उन दवाओं की प्रकृति और प्रभाव, अभियुक्त/अपीलार्थी तीरथ सूर्यवंशी के संज्ञान में नहीं थे, जिससे यह स्थापित हो सके कि वह गर्भपात कराना चाहता था। मृतका के गर्भाशय में कोई रासायनिक पदार्थ या किसी प्रकार की औषधि नहीं पाई गई। ऐसी कोई रिपोर्ट या साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मृतका को दी गई दवा केवल गर्भपात के उद्देश्य से ही थी। विशेषज्ञ द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार मृत्यु का कारण संदिग्ध विषाक्तता और संदिग्ध आपराधिक गर्भपात है। मृतका के शरीर में विषाक्तता, गलत दवाओं और इंजेक्शन दिए जाने के कारण भी हो सकती थी। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है कि अभियुक्त/अपीलार्थी तीरथ सूर्यवंशी ने ही मृतका को ग्राम पथराटोला में नर्स सती बाई बोरकर के घर उपचार के लिए जाने हेतु राजी किया था। यह संभव है कि मृतका स्वयं किसी भी प्रकार के उपचार के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी

के साथ नर्स के पास गई हो। अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों की उचित विवेचना नहीं की और त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिए, अतः आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है।

8. दाण्डिक अपील क्रमांक 1088/2007 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दण्ड, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के विपरीत है और यह अपास्त किए जाने योग्य है। अभियोजन के कथानक का अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा समर्थन या संपुष्टि नहीं की गई है। अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध जब्ती साबित करने में असफल रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के आवश्यक घटक अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध साबित नहीं किए गए हैं और न ही ऐसा कोई प्रकरण बनता है, इसलिए अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने की हकदार है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की उचित विवेचना नहीं की, त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिए और अपीलार्थी सती बाई बोरकर को उपरोक्त आरोपों के लिए अनुचित रुप से दोषसिद्ध किया, अतः आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त होने की पात्र है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इसके विपरीत , राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और तर्क किया कि अभियोजन ने अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना करने के पश्चात, वर्तमान अपीलार्थीगण को कथित अपराध के लिए उचित रुप से दोषसिद्ध किया है, और दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने दाण्डिक अपील क्रमांक 60/2007 में अपीलार्थी तीरथ सूर्यवंशी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 314/109 के अधीन और दाण्डिक अपील क्रमांक 1088/2007 में अपीलार्थी सती बाई बोरकर के विरुद्ध धारा 314 के अधीन आरोप विरचित किए थे। अभियोजन के अनुसार, मृतका जानकी बाई की मृत्यु अपीलार्थी सती बाई बोरकर द्वारा गर्भपात कराने के आशय से किए गए कृत्य के कारण हुई थी, और अपीलार्थी तीरथ सूर्यवंशी को इसलिए जिम्मेदार ठहराया गया है क्योंकि वही मृतका जानकी बाई को गर्भपात कराने के उद्देश्य से दूसरी अभियुक्त/अपीलार्थी सती बाई बोरकर के पास ले गया था।

12. इस न्यायालय के समक्ष विचार हेतु पहला प्रश्न यह है कि क्या मृतका की मृत्यु अपीलार्थी सती बाई बोरकर द्वारा जानकी बाई का गर्भपात कराने के आशय से किए गए किसी कृत्य के कारण हुई थी?

13. अभियोजन साक्षी –12 डॉ. रामटेके ने मृतका जानकी बाई का शवपरीक्षण किया और उन्होंने अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण संदिग्ध विषाक्तता और संदिग्ध आपराधिक गर्भपात है। अपने प्रति–परीक्षण के कण्डिका 09 में, उन्होंने स्वीकार किया कि गर्भपात गिरने या किसी चोट लगने के कारण भी हो सकता है। अपने प्रति–परीक्षण के कण्डिका 12 में, उन्होंने कथन किया कि उन्हें मृतका के शरीर पर इंजेक्शन/सुई के निशान मिले, हालांकि वह यह नहीं बता सकते कि मृतका को इंजेक्शन कब दिया गया था। अपने प्रति–परीक्षण के कण्डिका 17 में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने प्रतिवेदन में उस गर्भपात प्रक्रिया के प्रकार के बारे में नहीं लिखा है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु होने की संभावना होती है। उन्होंने आगे कथन किया कि जब किसी के द्वारा गर्भाशय में कुछ डालकर जबरन गर्भपात किया जाता है या प्रयास किया जाता है, तो गर्भाशय में प्रवेश कराई गई उस विशेष वस्तु के अवशेष मिल सकते हैं, हालांकि, उन्हें कोई दवा, क्रीम या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे गर्भपात होता हो। प्रदर्श पी/25 के अनुसार न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन में वस्तु ए, बी और सी, यानी वस्तु ए और बी– मृतका का विसरा और वस्तु सी– पेट की स्लाइड में प्लम्बागिन ग्लाइकोसाइड पाया गया। अतः, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन को देखते हुए, यह साबित होता है कि मृतका की मृत्यु विषाक्तता के कारण हुई थी, लेकिन यह साबित नहीं होता है कि यह विषाक्तता उसे गर्भपात का कोई कृत्य करने के समय हुई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अभियोजन साक्षी–01 डॉ. ए.वी. महेश्वर ने कथन किया है कि दोनों अपीलार्थी मृतका के साथ उनके नर्सिंग होम आए थे, जिसकी हालत गंभीर थी। मृतका के परीक्षण के उपरांत उन्होंने पाया कि उसका रक्तचाप बिल्कुल नहीं था और उसके मुँह से झाग व रक्त निकल रहा था। अपीलार्थी सती बाई बोरकर से इसका कारण पूछने पर उन्हें पता चला कि मृतका चार माह की गर्भवती स्त्री है, और उसने गर्भाशय में कुछ भी प्रवेश कराए जाने के संबंध में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मृतका की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उसे शासकीय चिकित्सालय, बालोद के लिए रेफर कर दिया, हालाँकि अपीलार्थीगण अपनी जीप तैयार कर मृतका को कहीं और ले गए। अपने प्रति–परीक्षण में उन्होंने कथन किया कि उन्होंने मृतका जानकी बाई का उपचार नहीं किया, केवल उसका परीक्षण किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि मृतका के मुँह से झाग और रक्त निकल रहा था। उन्होंने अपने पुलिस कथन में इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि अपीलार्थी सती बाई बोरकर ने गर्भाशय में कुछ भी प्रवेश कराए जाने के संबंध में उन्हें बताया था, क्योंकि पुलिस ने उनसे इस बारे में नहीं पूछा था; वह पहली बार न्यायालय में अपने कथन में यह बात कह रहे हैं।

15. अभियोजन साक्षी –02 जलील कुरैशी, अभियोजन साक्षी–03 अमित कुमार और अभियोजन साक्षी–04 रूपेश कुमार सोनी ने कथन किया है कि वे दोनों अपीलार्थीगण को नहीं जानते। साक्षी जलील कुरैशी ने कथन किया कि अमित कुमार ने उनसे एक मरीज को ग्राम पथराटोला से बालोद अस्पताल छोड़ने का अनुरोध किया था क्योंकि उनकी अपनी जीप बुकिंग पर बाहर थी। इसके बाद, वह मरीज को मुस्कान क्लिनिक मेमोरीज अस्पताल छोड़ने के लिए सहमत हो गए; मरीज के साथ एक बच्चा, दो पुरुष

और एक स्त्री थी। अभियोजन साक्षी –02 जलील कुरैशी, अभियोजन साक्षी–03 अमित कुमार और अभियोजन साक्षी–04 रूपेश कुमार सोनी ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया, जिसके कारण अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही कर दिया और उनसे प्रति–परीक्षण किया, किंतु उन्होंने अभियोजन के सभी सुझावों से इनकार कर दिया।

16. अभिलेख के व्यापक मूल्यांकन के उपरांत, यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करता हो कि दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने मृतका जानकी बाई का गर्भपात कराने के आशय से कोई कृत्य किया है और ऐसे किसी कृत्य के दौरान, मृतका जानकी बाई की गर्भस्थ शिशु सहित मृत्यु हो गई। अभियोजन साक्षी–01 डॉ. ए.वी. महेश्वर ने केवल इतना कथन किया है कि दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थीगण मृतका जानकी बाई को उनके क्लिनिक लाए थे और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपने मुख्य–परीक्षण में जो कुछ भी कहा, वह उनके पुलिस कथन में नहीं कहा गया था।

17. यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने किसी भी ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 314/109 और 314 के अधीन दोषसिद्ध किया। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 314/109 और 314 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और यह विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. फलस्वरूप, दोनों अपीलें **स्वीकार** की जाती हैं और दिनांक 05.01.2007 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थीगण को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थीगण को संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/– रुपये प्रत्येक का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही एक वचनबद्धता भी शामिल होगी कि इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, सूचना प्राप्त होने पर उक्त अपीलार्थीगण माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

20. विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की प्रति के साथ अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलंब संबंधित विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाए।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur